National Research Journal of Business Economics
Volume No: 11, Issue No: 1, Year: 2024 (January- June)
PP: 1-6
ISSN No: 2349-2015 (Print)
Peer Reviewed & Refereed Journal
National Research Journal

उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में मनरेगा का योगदानः जनपद टिहरी गढ़वाल के संदर्भ में

राजीव कुमार

असिस्टेंट प्रोफेसर, अर्थशास्त्र विभाग, मदरहुड विश्वविद्यालय, रूड़की, उत्तराखंड।

रघुवीर

शोधार्थी, अर्थशास्त्र विभाग, मदरहुड विश्वविद्यालय, रूड़की, उत्तराखंड।

सारः—

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) दुनिया का सबसे व्यापक सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम है, जिसका देश में गरीबी उन्मूलन और प्राकृतिक आधार को मजबूत करने में योगदान के लिए व्यापक रूप से अध्ययन किया गया है। हालाँकि, कार्यक्रम कार्यान्वयन को राष्ट्रीय और उप—राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों से जोड़ने वाले अनुसंधान में एक अंतर है, जो सतत विकास के वैश्विक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। इस प्रकार इस अध्ययन का उद्देश्य उत्तराखंड राज्य टिहरी गढ़वाल जनपद को एक उदाहरण के रूप में लेते हुए, मनरेगा कार्यान्वयन में जिला—स्तरीय अंतर्दृष्टि प्राप्त करना है। भूमि उपयोग भूमि कवर (एलयूएलसी) और भू—भाग, जो स्थानीय विकास और योजना प्रयासों को आकार देने के अलावा समग्र कार्यक्रम कार्यान्वयन पर एक गुप्त नियंत्रण रखता है। एलयूएलसी और स्थलाकृति ने जिले में कार्यों के वितरण पर गहरा प्रभाव दिखाया। निष्कर्ष दूरगामी सामाजिक—आर्थिक और पर्यावरणीय लाभांश प्राप्त करने की दिशा में राज्य के लिए बेहतर योजनाएं तैयार करने में मदद कर सकते हैं। इस पत्र के माध्यम से उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में मनरेगा के योगदान पर विश्लेषण प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है।

मुख्य—शब्दः मनरेगा आर्थिक समीक्षा, योगदान एवं प्रभाव।

परिचय

लगातार गरीबी और बेरोजगारी परिदृश्य के संदर्भ में विभिन्न मजदूरी रोजगार कार्यक्रम जैसे ग्रामीण रोजगार के लिए क्रैश स्कीम (सीआरएसई), काम के लिए भोजन कार्यक्रम (एफडब्ल्यूपी), राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (एनआरईपी), ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम (आरएलईजीपी) आदि शुरू किए गए हैं। कई वर्षों से देश में विकसित और पेश किया गया है। इन कार्यक्रमों के बावजूद, हमारे देश में 1972—73 से 2004—05 की अवधि के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की वृद्धि दर में गिरावट देखी गई। ग्रामीण रोजगार की वृद्धि दर, जो 1972/73—1977/78 के दौरान 2.32 प्रतिशत थी, 1983/84—1993/94 के दौरान घटकर 1.8 प्रतिशत हो गई, और 1999/2000—2004/05 के दौरान 1.32 प्रतिशत हो गई। ग्रामीण बेरोजगारी 1972—73 में 0.46 प्रतिशत से बढ़कर 1993—94 में 1.2 प्रतिशत और 2004—05 में 2.5 प्रतिशत हो गई। इसके अलावा, 1993/94—2004/05 के दौरान कृषि में उत्पन्न अतिरिक्त रोजगार खराब गुणवत्ता और कम उत्पादकता वाला था जिसके परिणामस्वरूप कृषि उत्पादन में धीमी वृद्धि दर हुई। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (नरेगा) लागू किया। यह राष्ट्रीय स्तर पर एक अद्वितीय नीतिगत हस्तक्षेप है जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना है। 2009 में इस अधिनियम का नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) कर दिया गया। यह मुख्य रूप से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित और सभी राज्यों में लागू किया गया एक राष्ट्रीय कानून है, जो सभी परिवारों के लिए एक उचित "काम करने का अधिकार" बनाता है, उन्हें सार्वजनिक कार्यों पर "कम से कम 100 दिन" अकुशल शारीरिक श्रम प्राप्त करने का कानूनी अधिकार

ISSN No: 2349-2015 (Print)
Peer Reviewed & Refereed Journal
National Research Journal

है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष में. यह समावेशी विकास हासिल करने के लिए सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है। भारत में ग्रामीण आजीविका के परिवर्तन के लिए अब तक की गई सबसे शक्तिशाली पहलों में मनरेगा पहले स्थान पर है। कई मायनों में नरेगा कानूनी गारंटी के साथ पिछली योजनाओं की प्रतिकृति है। जबकि अन्य कार्यक्रम आवंटन–आधारित हैं, मनरेगा मांग–संचालित है। 2 फरवरी 2006 को 200 जिलों से शुरू होकर, नरेगा ने 1 अप्रैल 2008 से भारत के सभी जिलों को कवर किया। मनरेगा के तहत पंजीकृत परिवारों का प्रत्येक वयस्क सदस्य जरूरत पड़ने पर काम की मांग कर सकता है और सरकार सौ दिन देने के लिए बाध्य है। इस योजना के तहत पंजीकृत प्रत्येक परिवार को गारंटीकृत मजदूरी रोजगार की गारंटी। इस प्रकार, मनरेगा ग्रामीण गरीबों की सामाजिक सुरक्षा तंत्र की दिशा में एक बड़ा कदम है।[1]

यह भारी सार्वजनिक निवेश के साथ देश में शुरू किया गया अब तक का सबसे बड़ा रोजगार कार्यक्रम है। राष्ट्रीय रिपोर्ट (2013–14) के अनुसार, 12.8 करोड़ परिवारों को मनरेगा में पंजीकृत किया गया है और 17940.20 करोड़ रुपये के कुल व्यय के साथ 1.05 करोड़ कार्य किए जा रहे हैं। इस कार्यक्रम में सामाजिक–आर्थिक स्थितियों को ऊपर उठाने और 100 दिनों के वेतन रोजगार की गारंटी देकर ग्रामीण गरीबों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने की अपार क्षमता है। महिलाओं को मनरेगा के लाभ आय–उपभोग प्रभाव, अंतर–घरेलू प्रभाव और परिवार में पसंद और निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि के माध्यम से प्राप्त हुए हैं । मनरेगा की शुरूआत का रोजगार, आय सृजन, जीवन स्तर, महिलाओं की भागीदारी और ग्रामीण गरीबों की सामाजिक–आर्थिक स्थितियों पर स्पष्ट सकारात्मक प्रभाव पड़ा जबकि 2017–20 तक मनरेगा के कामकाज को बहुत संतोषजनक नहीं पाया और रिपोर्ट की मनरेगा का उनकी आजीविका पर प्रभाव और इस योजना के तहत किए गए कार्यों की गुणवत्ता को लेकर लोगों में असंतोष है।[2]

लाभार्थियों पर कार्यक्रम के सामाजिक–आर्थिक प्रभाव का आकलन करने के लिए, विभिन्न अध्ययनों ने आय, बचत, घरेलू व्यय, स्वास्थ्य और पोषण स्थिति आदि में बदलाव जैसे विविध मापदंडों पर विचार किया है, लेकिन आंशिक रूप से। कुछ अन्य महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक संकेतकों जैसे बच्चों की शिक्षा पर व्यय, आवास की स्थिति, स्वच्छता सुविधाएं, पेयजल सुविधाएं, स्वास्थ्य पर व्यय आदि पर ध्यान नहीं दिया गया है। सभी प्रासंगिक सामाजिक–आर्थिक मापदंडों को शामिल करने वाला एक समग्र सामाजिक–आर्थिक सूचकांक इस प्रकार के रोजगार गारंटी कार्यक्रम के समग्र प्रभाव का मूल्यांकन करने में अधिक सार्थक होगा। यह पत्र उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जनपद में ग्रामीण गरीबों की समग्र सामाजिक–आर्थिक स्थितियों पर मनरेगा के प्रभाव का आकलन करने से संबंधित है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को गरीबी और उससे जुड़ी बीमारियों को कम करने में एक कल्याणकारी राज्य की भूमिका के लिए अंतरराष्ट्रीय नीति और अकादमिक हलकों में बहुत ध्यान दिया जा रहा है। इसे व्यापक आर्थिक स्तर पर एक प्रमुख स्वचालित स्टेबलाइजर के रूप में भी पहचाना जाता है, खासकर जब अर्थव्यवस्था को झटके का सामना करना पड़ता है – और हाल ही में कोविड–19 वास्तव में एक बड़ा झटका रहा है।[3]

पिछले दशक में योजना का दायरा काफी बढ़ गया है क्योंकि अभिसरण योजनाओं के माध्यम से प्रदान किए जाने वाले कार्यों की संख्या में वृद्धि हुई है, योजना के लिए पंजीकरण कराने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि हुई है और योजना के लिए सालाना आवंटित धनराशि में वृद्धि हुई है। दायरे के इस बड़े विस्तार के साथ–साथ योजना का मूल्यांकन करने में शैक्षणिक रुचि भी बढ़ी है। यह सुनिश्चित करने के लिए एक आवश्यक कार्य है कि इतनी बड़ी योजना के लिए समर्पित संसाधन, वित्तीय और अन्यथा, वास्तव में अपेक्षित लाभ दे रहे हैं।[4]

मनरेगा को 2005 में जाति, लिंग या धर्म की परवाह किए बिना 18 वर्ष से अधिक उम्र के किसी भी व्यक्ति को प्रति वर्ष प्रति परिवार 100 दिनों की गारंटीशुदा अकुशल कार्य प्रदान करने के इरादे से प्रस्तावित और अधिनियमित किया गया था। परिस्थिति के आधार पर विभिन्न प्रकार के कार्यों में से किसी एक की पेशकश की जा सकती है – सड़क, तालाब, बांध, सिंचाई, वृक्षारोपण, वानिकी, खाद के गड्ढे, मवेशी शेड, वृक्षारोपण, दीवार निर्माण, खुले कुओं और टैंकों से गाद निकालने से संबंधित कार्य।

आगे निर्धारित नियमों के अनुसार कार्य आवेदक के निवास से 5 किमी के दायरे में होना चाहिए। यदि कार्य अधिक दूर है, तो यह ब्लॉक के भीतर होना चाहिए, और यात्रा भत्ता का भुगतान किया जाना चाहिए। कई अन्य नियम हैं– समय पर भुगतान, काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी लाभ, कार्यस्थल सुविधाएं आदि से संबंधित– जिनका उद्देश्य योजना को यथासंभव कार्यात्मक बनाना है, ताकि आर्थिक भेद्यता को कम करने का वांछित परिणाम प्राप्त किया जा सके। हाल के संकट के समय में, एक परिवार को दिए जाने वाले काम के अधिकतम दिनों की संख्या 100 से बढ़ाकर 150 कर दी गई है।[5]

उद्देश्य–:

1. मनरेगा लाभार्थीयों की सामाजिक एवं आर्थिक विकास का अध्ययन करना।
2. जनपद टिहरी में मनरेगा के द्वारा लाभार्थीयों खाद्य सामग्री में सुधार का अध्ययन।

मनरेगा लाभार्थीयों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का अध्ययन– शोध क्षेत्र में मनरेगा लाभार्थीयों की आर्थिक स्थिति का अध्ययन करने का प्रयास किया गया है। जनपद टिहरी में उत्तरदाताओं की सामाजिक–आर्थिक व राजनीति स्थिति का अध्ययन किया गया है। शोध क्षेत्र में मनरेगा में कार्यरत लोग रोजी–रोटी एवं आर्थिक स्थिति को ठीक करने में कुछ हद तक सहायता मिली है। है लेकिन काम कम और बढते खर्चे और बढ़ती महगांई तथा रोजगार का उचित स्त्रोत न होने के कारण उत्तरदाताओं की आर्थिक, सामाजिक, स्थिति से समबन्धित समस्याओ का उचित समाधान नहीं हो पाया है। शोध क्षेत्र में उत्तरदाताओं की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है यदि सम्पूर्ण अध्ययन में देखा जाए तो 38 प्रतिशत मजदूरी एवं 37 प्रतिशत लोग पशुपालन कर रहे है। 26 प्रतिशत उत्तरदाता अभी भी कच्चे घर में रहने को मजबूर है। 25 प्रतिशत उत्तरदाताओं के पास कृषि येग्य भूमि नहीं है तथा 13 प्रतिशत लोग ऐसे है जिनके पास पशु, कृषि, एवं अधिक श्रम वाला कार्य करने की क्षमता भी नहीं है। इसलिए ये लोग समाज में अन्य निम्न प्रकार के कार्य करने को मजबूर है।

मनरेगा लाभार्थीयों की खाद्यय सामग्री में सुधार– प्रस्तुत तालिका में टिहरी गढवाल में मनरेगा लाभार्थीयो की आर्थिक व सामाजिक स्थिति का अध्ययन किया गया है। मनरेगा ने भोजन और गैर–खाद्य उपभोग्य सामग्रियों पर मासिक प्रति व्यक्ति व्यय में उल्लेखनीय वृद्धि की, जिससे प्रति सप्ताह परिवारों द्वारा छोड़े गए भोजन की संख्या में महत्वपूर्ण कमी सुनिश्चित करके खाद्य सुरक्षा में सुधार हुआ।

तालिका– मनरेगा लाभार्थीयों की खाद्यय सामग्री

क्र0 सं0	जनपद	एफ0पी0एस0 शॉप्स	एस0एफ0वाई0 (1)		ए0ए0वाई0 (2)		पी0एच0एच0 (31)		एन0ई0आर0 (90)		योग		आर0सी0 / एवरेज एफ0पी0एस0
			आर0सी0	यूनिट	आर0सी0	यूनिट	आर0सी0	यूनिट	आर0सी0	यूनिट	आर0सी0	यूनिट	
1	टिहरी गढ़वाल (059)	1042	56044	210124	22619	84904	60919	273882	667	2532	140049	575252	134
योग–		**1042**	**56044**	**210124**	**22619**	**84904**	**60919**	**273822**	**667**	**2532**	**140249**	**575252**	**134**
डिस्ट्रिक्ट – 01 रेशनिंग डिस्ट्रिक्ट– 01 एवरेज फैमिली साईज– 3.80 एवरेज आर0सी0 फॉर रेशलिंग डिस्ट्रिक्ट – 667			3.75 56044		3.75 22619		4.56 60919		3.80 667		4.70 14004 9		

ISSN No: 2349-2015 (Print)
Peer Reviewed & Refereed Journal
National Research Journal

स्त्रोत– विकास भवन टिहरी गढ़वाल (2022)

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि जनपद टिहरी गढ़वाल की कुल जनसंख्या 61893 (सन् 2011 की जनगणना है) जो विगत दशक की तुलना में 2.35 प्रतिशत से अधिक है। टिहरी जिले के 09 विकासखण्डों में निवासरत 95 प्रतिशत उत्तरदाता हैं जो मनरेगा कार्यक्रम से अवगत हैं। 04 प्रतिशत लोग लगभग आज भी इससे अवगत नहीं हैं। जिनको थोड़ी सुनी हुई बातों पर जानकारियां हैं वे 01 प्रतिशत उत्तरदाताओं को इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है।

गैर–खाद्य वस्तुओं पर व्यय अधिक बढ़ जाता है, तो यह दावा किया जा सकता है कि यह योजना उन परिवारों को टिकाऊ संपत्तियों में निवेश करने की अनुमति देकर थोड़ा अधिक आराम से रहने में मदद कर रही है, जिनके पास अपनी बुनियादी चीजें शामिल थीं। और अन्य गैर–खाद्य वस्तुओं पर खर्च करें। इसलिए, यदि मनरेगा में भागीदारी भोजन या गैर–खाद्य वस्तुओं पर अधिक खर्च से जुड़ी है, कम नहीं, तो यह कहा जा सकता है कि ग्रामीण आजीविका के उत्थान में मनरेगा की भूमिका प्रशंसनीय है।

इसके अलावा इस योजना से लाभार्थियों के बीच बचत रखने की संभावना बढ़ गई और भावनात्मक चिंता की घटनाओं में कमी आई। चिंता में यह कमी परिवारों की आर्थिक स्थिति को सुरक्षित करने में काफी मदद कर सकती है और इस प्रकार उन विभिन्न कमजोरियों को कम कर सकती है जिनका उन्हें अन्यथा सामना करना पड़ सकता है।

पौष्टिक खाद्य पदार्थों की खपत, बच्चों की शिक्षा और महिला श्रम आपूर्ति के पैटर्न से संबंधित महिला निर्णय लेने की शक्ति पर भी मनरेगा के मजबूत सकारात्मक प्रभाव हैं। ये संसाधन आवंटन में अंतर–घरेलू समानता सुनिश्चित करने में एक लंबा रास्ता तय कर सकते हैं– कुछ ऐसा जो इन प्रथाओं की गहराई से सामाजिक रूप से अंतर्निहित प्रकृति के कारण लक्षित हस्तक्षेप के बिना हासिल करना आसान नहीं है।

छोटे बच्चों की शिक्षा पर मनरेगा भागीदारी का प्रभाव संभावित रूप से बड़ा है क्योंकि यह देखा गया है कि घरेलू वित्तीय सुरक्षा में सुधार के परिणामस्वरूप स्कूली शिक्षा में वृद्धि हुई है और छोटे बच्चों के लिए अवसरों में सुधार हुआ है। जैसा कि कहा गया है, शिक्षा पर विकृत प्रभाव के भी उदाहरण हैं, जहां बड़े बच्चे स्कूल में कम समय और श्रम बाजार में अधिक समय बिताते हैं, कम से कम आंशिक रूप से योजना से प्रेरित उच्च मजदूरी के कारण ऐसा संभव हो पाया है।

इस योजना ने स्थानीय निकायों को स्थानीय संसाधनों को बनाए रखने और गाँव के भीतर ही सिंचाई, कृषि परिसंपत्ति आधार बनाकर काम करने का अधिकार दिया है, लेकिन इन अधिकारों का उपयोग अक्सर पलायन को रोकने के लिए नहीं किया जा रहा है, जो इनमें से एक है।

योजना में भागीदारी वास्तव में संकट प्रवासन को कम करती हैः प्रति वर्ष परिवार द्वारा किया जाने वाला एक अतिरिक्त दिन का काम एक औसत आकार के परिवार के लिए प्रवासन को एक से सात दिनों के बीच कम कर देता है।

मनरेगा योजना में भागीदारी से परिवारों की अर्जित आय में वृद्धि होगी और इसलिए उनके खाद्य या गैर–खाद्य वस्तुओं के व्यय में वृद्धि हो सकती है, जिसमें टिकाऊ संपत्ति जैसे दीर्घकालिक निवेश भी शामिल हैं।

उत्पादक रोजगार के दिनों की संख्या को योजना के वांछनीय परिणाम के रूप में सूचीबद्ध किया जा सकता है क्योंकि नियोजित होने और स्वयं और परिवार के लिए कमाई के लिए जिम्मेदार होने से प्राप्त कुछ मनोवैज्ञानिक लाभ भी होते हैं।

मनरेगा ने आजीविका के अवसरों सृजन के संदर्भ में अनुसूचित जाति और जनजाति के उत्थान में भी सहायता प्रदान की है जिसकारण विश्व बैंक ने इसे दुनिया के सबसे बड़े लोक निर्माण कार्यक्रम के रूप में मान्यता प्रदान की है। मनरेगा योजना के पिछले छः वर्षों के वित्तीय प्रदर्शन का विश्लेषण निम्न प्रकार है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत (15 दिसंबर, 2022 तक) कुल 11.37 करोड़ परिवारों ने रोजगार प्राप्त किया और कुल 289.24 करोड़ व्यक्ति–दिवस रोजगार

ISSN No: 2349-2015 (Print)
Peer Reviewed & Refereed Journal
National Research Journal

उत्पन्न हुआ है। 15 दिसम्बर 2022 की स्थिति के अनुसार चालू वित्त वर्ष 2022–23 में कुल सृजित व्यक्ति–दिनों में से अनुसूचित जाति (एससी) की भागीदारी का प्रतिशत 19.75 प्रतिशत रही है एवं उत्पन्न कुल यक्ति–दिवसों में से अनुसूचित जनजाति (एसटी) की भागीदारी का प्रतिशत 17.47 प्रतिशत रही है। कुल सृजित व्यक्ति–दिवसों में से महिलाओं की भागीदारी का प्रतिशत 56.19 प्रतिशत रही है।

निष्कर्ष

प्राप्त तथ्य इस गाँव में परिवारों की गरीबी के समग्र स्तर को उजागर करते हैं। परिणाम कुछ हद तक यह दर्शाते हैं कि योजना उन सभी मापदंडों पर प्रदर्शन कर रही है जो अपेक्षित हैं। सभी सामाजिक समूहों के बीच भागीदारी है– कोई भी नहीं छूटा है; यह महामारी से संबंधित लॉकडाउन के चरम पर ग्रामीण परिवारों के लिए उपलब्ध है, जब कमाई के अन्य रास्ते अनुपलब्ध थे, सभी भुगतान बिना किसी देरी या त्रुटियों के लाभार्थियों के बैंक खातों में ठीक से जा रहे हैं। ये तो सिर्फ योजना के क्रियान्वयन के बारे में हैं।

प्रभाव के संबंध में भी, यह योजना परिवारों को अनाज, डेयरी और मिठास की प्रमुख खाद्य श्रेणियों पर अधिक खर्च करने में मदद कर रही है। मनरेगा के तहत एक अतिरिक्त दिन के काम से उनकी लगभग आधी कमाई इन खाद्य समूहों में जा रही है। यह जानते हुए कि गरीब परिवारों के लिए उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति अपेक्षाकृत अधिक होती है, यह परिणाम हमें बताता है कि यह योजना कम आय वाले परिवारों के लिए बुनियादी खाद्य पदार्थ खरीदना संभव बना रही है। एकमात्र गैर–खाद्य वस्तु जिस पर कोई प्रभाव पड़ता है वह स्टेशनरी या समाचार पत्र श्रेणी है। इस योजना के तहत काम करने से परिवारों को इन पठन सामग्री पर थोड़ा अधिक खर्च करने की अनुमति मिलती प्रतीत होती है।

सुझाव

1. मनरेगा कार्यों के अन्तर्गत होने वाले आवास निर्माण, जल संरक्षण, बागवानी, नहर खुदाई, तालाब खुदाई आदि सभी कार्यों हेतु जागरूकता की आवश्यकता है।
2. मनरेगा कार्य करने हेतु जॉब कार्ड बनवाने हेतु सभी लोगो को जागरूक करने की आवश्यकता है।
3. सरकार को मनरेगा कार्य हेतु दैनिक मजदूरी बढ़ाने की आवश्यकता है। क्योंकि मनरेगा श्रमिकों से महिलाओं को लम्बे वक्त तक भुगतान ना होने से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

संदर्भ

1. टैगट, ए. (2020) महिला मामलेः ग्रामीण भारत में अंतर–घरेलू महिला निर्णय लेने पर कार्यस्थल कार्यक्रम का प्रभाव, विश्व विकास परिप्रेक्ष्य, 20, 100246।
2. त्रिवेदी, बी.आर. और असवाल, बी.एस. (2011) नरेगा और पंचायती राज का विश्वकोश, नई दिल्लीः साइबर टेक प्रकाशन।
3. रवि, एस. और एंगलर, एम. (2015) गरीबी से लड़ने के एक प्रभावी तरीके के रूप में कार्यस्थलः भारत के एनआरईजीएस का मामला, विश्व विकास 67ः57–71.
4. रावोर्थ, के. (2017) डोनट अर्थशास्त्रः 21वीं सदी के अर्थशास्त्री की तरह सोचने के सात तरीके। चेल्सी ग्रीन प्रकाशन।
5. शूमाकर, ई.एफ. (2011) छोटा सुंदर हैः अर्थशास्त्र का एक अध्ययन मानो लोगों का महत्व रखता हो। आकस्मिक घर।
6. खर्कवाल, एस., और कुमार, ए. (2015) मनरेगा का सामाजिक–आर्थिक प्रभावः भारत के उत्तराखंड में उधम सिंह नगर जिले से साक्ष्य। इंडियन जर्नल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड डेवलपमेंट, 3(12), 1–10।

7. सरकार, पी., और कुमार, जे. (2011) ग्रामीण गरीबी को कम करने और ग्रामीण गरीबों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति में सुधार पर मनरेगा का प्रभावः पश्चिम बंगाल के बर्दवान जिले में एक अध्ययन, कृषि अर्थशास्त्र अनुसंधान समीक्षा, 24 (कॉन्फ), 437–448।

8. आहूजा, यू.आर., त्यागी, डी., चौहान, एस., और चौधरी, के.आर. (2011) ग्रामीण रोजगार और प्रवासन पर मनरेगा का प्रभावः हरियाणा के कृषि–पिछड़े और कृषि–उन्नत जिलों में एक अध्ययन। कृषि अर्थशास्त्र अनुसंधान समीक्षा, 24, 495–502।

9. जेवियर, जी., और मारी, जी. (2014) तमिलनाडु के शिवगंगई जिले में कलक्कनमोई पंचायत के विशेष संदर्भ में महिला सशक्तिकरण पर मनरेगा का प्रभाव, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टडीज, 1(1)।

10. गनेरीवाला, एस.ए. (2010) सिक्किम में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत बनाई गई संपत्तियों की उपयोगिता और स्थिरता का एक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन। ग्रामीण प्रबंधन संस्थान आनंद.।